

नकली शराब खरीदने-बेचने वाले धराए: बड़वानी में नकली बोतल पर ब्रांडेड लेबल लगाकर बेच रहे थे शराब बड़वानी



पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से नकली शराब बड़वानी जिले में लाकर उस पर ब्रांडेड लेबल लगाकर नकली को असली बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को नकली शराब खाली क्वार्टर, प्लास्टिंग और नकली क्वार्टर पर लगाने वाले लेवल सहित नकली ढक्कन जब्त किए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले साल 17 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर आरोपित जगदीश पिता भायला निवासी बघाड़-नागलवाड़ी के कब्जे से आठ पेटी बाम्बे विस्की के नकली क्वार्टर (प्रत्येक पेटी में 180 एमएल के 50-50 क्वार्टर) 24 हजार मूल्य और एक बाइक को ग्राम जामली के एकलव्य विद्यालय के पास से पकड़ा था। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठा आरोपित इलाराम पिता नानदा निवासी बघाड़ मौके से भाग गया था।



जब्त शराब

पुलिस ने विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर आरोपी संजय पिता दयासिंह पावरा निवासी गदडदेव-महाराष्ट्र से नकली शराब खरीदकर लाना बताया था। इस दौरान आरोपित संजय पावरा को गत दिनों 18 जनवरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित संजय ने स्प्रिट शराब ग्राम गदडदेव के छतरसिंह पिता रेवा पावरा से खरीदकर नकली क्वार्टर बनाना और नकली क्वार्टर और नकली लेबल राजपुर निवासी अकरम पिता सलीम से खरीदना बताया।

पुलिस ने एक दिन पहले जुलवानिया एबी रोड से आरोपी अकरम को पकड़ा। वहीं शराब परिवहन मामले में उपयोग में पाई गई जब्त बाइक के मालिक रासु उर्फ रुस निवासी बघाड़ को सह आरोपित बनाया। गौरतलब है कि घटना दिनांक से आरोपित अकरम और इलाराम और बाइक मालिक फरार थे। पुलिस अधीक्षक ने उनके विरुद्ध इनाम घोषित किया था।

पुलिस ने आरोपी अकरम को न्यायालय में पेश कर दो दिन की रिमांड लेकर और पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में सेंधवा ग्रामीण थाना प्रभारी विकास कपिस, सहायक उपनिरीक्षक सीताराम भटनागर, कार्य वाहक सहायक उपनिरीक्षक दीपक ठाकुर, कार्य वाहक प्रधान आरक्षक बलिराम मंडलोई शामिल थे।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/khandwa/barwani/news/in-barwani-liquor-was-being-sold-by-putting-branded-labels-on-fake-bottles-129330452.html>